



## ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक 2022

### प्रलिस के लयः

ऊर्जा संरक्षण अधनियम 2001, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफशिएसी, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन क्रेडिट, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ग्रीन बॉन्ड, UPSC CSE PYQ।

### मेन्स के लयः

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक 2022 और इसके उद्देश्य।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वदियुत मंत्रालय ने [लोकसभा](#) में **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक 2022** पेश किया है।

- वधियक में कार्बन बचत प्रमाणपत्र जारी करके स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसे परिवर्तनों को पेश करने के लिये [ऊर्जा संरक्षण अधनियम 2001](#) में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जसि अंतमि बार वर्ष 2010 में संशोधति किया गया था।

## ऊर्जा संरक्षण अधनियम 2001 के प्रावधानः

- ऊर्जा दक्षता मानदंडः**
  - यह केंद्र को 100 किलोवाट लोड से अधिक या 15 किलोवाट-एम्पीयर (KVA) से अधिक की संवदात्मक मांग वाले उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों और इमारतों के लिये ऊर्जा दक्षता के मानदंडों एवं मानकों को नरिदषिट करने का अधिकार देता है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरोः**
  - ऊर्जा संरक्षण अधनियम, 2001 के तहत [ऊर्जा दक्षता ब्यूरो \(BEE\)](#) की स्थापना की गई।
    - वर्ष 2010 के संशोधन ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानदिशक के कार्यकाल को तीन से बढ़ाकर पाँच साल कर दिया।
  - यह ब्यूरो वभिन्नि उद्योगों की बजिली खपत की नगिरानी और समीक्षा करने वाले ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिये आवश्यक योग्यताएँ नरिदषिट कर सकता है।
- ऊर्जा व्यापारः**
  - सरकार उन उद्योगों को [ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र](#) जारी कर सकती है जो अपनी अधिकतम आवंटति ऊर्जा से कम खपत करते हैं।
  - हालाँकि, यह प्रमाण पत्र उन ग्राहकों को बेचा जा सकता है जो ऊर्जा व्यापार के लिये एक ढाँचे हेतु अपनी अधिकतम अनुमत ऊर्जा सीमा से अधिक खपत करते हैं।
- नरिदषिट मानदंडों के अनुरूप होने तक नषिधः**
  - अधनियम केंद्र को कसिी वशेष उपकरण के नरिमाण, बकिरी, खरीदार आयात को प्रतबिधति करने की अनुमतदिता है जब तक कयिह छह महीने/एक वर्ष पहले जारी कये गए नरिदषिट मानदंडों के अनुरूप न हो।
- दंडः**
  - अतरिकित ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को उनकी अधिक खपत के अनुसार दंडति कयिा जाएगा।
  - केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारति ऐसे कसिी भी आदेश के खिलाफ कसिी भी अपील की सुनवाई ऊर्जा अधनियम, 2003 के तहत पहले से स्थापति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी।

## अधनियम में प्रस्तावति संशोधनः

- अक्षय ऊर्जा का हसिसाः**
  - औद्योगिक इकाइयों या कसिी प्रतषिठान द्वारा उपभोग की जाने वाली **नवीकरणीय ऊर्जा** के न्यूनतम हसिसे को परभाषति करना।
  - यह खपत सीधे अक्षय ऊर्जा स्रोत से या परोक्ष रूप से पावर ग्रिड के माध्यम से की जा सकती है।
- स्वच्छ ऊर्जा के लिये प्रोत्साहनः**

- कार्बन बचत प्रमाणपत्र जारी कर स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के प्रयासों को प्रोत्साहन देना ।
- नज्दी क्षेत्र को जलवायु कार्रवाई के लिये आकर्षित करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लिये कार्बन क्रेडिट जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार करना ।
- **संबंधित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना:**
  - मूल रूप से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जैसे अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना ।
- **ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना:**
  - उद्योगों द्वारा उपयोग किये जाने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में मदद करना ।
- **संरक्षण मानकों के दायरे में वृद्धि:**
  - स्थायी आवासों को बढ़ावा देने के लिये ऊर्जा संरक्षण मानकों के तहत बड़े आवासीय भवनों को शामिल करना ।
  - वर्तमान में केवल बड़े उद्योग और उनके भवन ही अधिनियम के दायरे में आते हैं ।

## प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य:

- जीवाश्म ईंधन के माध्यम से भारत की बजिली की खपत को कम करना और इस तरह देश के **कार्बन फुटप्रिंट को कम** करना ।
- भारत के **कार्बन बाज़ार** को विकसित करना और **स्वच्छ प्रौद्योगिकी** को अपनाने को बढ़ावा देना ।
- **राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारित योगदान (NDCs)** को पूरा करना, जैसा कि पेरिस जलवायु समझौते में इस लक्ष्य (वर्ष 2030 के पहले ) का उल्लेख किया गया है ।

## भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएँ:

- भारत ने **पेरिस जलवायु समझौते** के तहत NDCs के हिससे के रूप में वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35% तक की कमी लाकर इसे वर्ष 2005 के कार्बन उत्सर्जन स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है ।
- भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा संसाधनों से अपने बजिली के 40% से अधिक हिससे का उत्पादन करने का भी वादा किया है ।
- वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 550 मीट्रिक टन (Mt) तक कम करने के लिये, भारत ने अपने वृक्ष और वनावरण को बढ़ाकर 2.5 -3 बिलियन टन कार्बन सकि के नरिमाण के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है ।
- नवंबर, 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत ने NDCs को संशोधित किया । **भारत के पाँच नए जलवायु लक्ष्य हैं:**
  - वर्ष 2030 तक इसकी **गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW** तक बढ़ाना
  - अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से भारत की **50% बजिली की मांग** को पूरा करना
  - भारतीय अर्थव्यवस्था की **कार्बन तीव्रता को 45%** तक कम करना ।
  - वर्ष 2021 से 2030 तक भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना ।
  - वर्ष 2070 तक देश शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना ।

## भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपाय:

- **घरेलू सौर वनरिमाण:**
  - वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने भारत में घरेलू सौर वनरिमाण को बढ़ावा देने के लिये 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं ।
- **बायोमास को-फायरिंग:**
  - ताप वदियुत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिये 5-7% बायोमास का उपयोग ।
- **ईंधन समशरिण:**
  - ईंधन समशरिण को बढ़ावा देने के लिये मशरिति ईंधन पर 2 रुपये/लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा ।
- **बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी:**
  - स्वच्छ परिवहन प्राप्त करने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु एक नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी तैयार की जाएगी ।
- **ग्रीन बॉण्ड:**
  - ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये पूँजी जुटाने हेतु सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं को नधिप्रदान करने हेतु 'ग्रीन बॉण्ड' जैसे नशिचति वत्तित्तीय तरीके से आय का सृजन करना । ऐसे सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड का उपयोग ऐसी जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में किया जा सकता है, जनिमें नज्दी वत्तित पोषण की कमी होती है ।

## स्रोत: द हद्रि